

निदेशालय आयुर्वेद विभाग, राजस्थान-अजमेर

कमांकप.1/प्रति7/अधि.से.नि-19/18/ 14947
आदेश

दिनांक 18-9-18

वित्त विभाग की अधिसूचना कमांक एफ.1(6)एफडी/नियम/98 दिनांक 24.05.2004 के अनुदेशों के तहत आयुर्वेद विभाग के निम्नांकित अराजपत्रित कर्मचारियों द्वारा 60 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर लेने पर उनके नाम के सम्मुख अंकित दिनांक को मध्यान्ह बाद राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है :-
नर्स-कम्पाउण्डर संवर्ग

क्र. सं.	नाम कार्मिक	पिता/पति का नाम	पद	पदस्थापन स्थान	जिला	जन्म दिनांक	सेवा निवृत्ति दिनांक
1	रूपेन्द्र डामोर	नगाजी डामोर	कम्पाउण्डर	राज. आयु. औष. चाडोली	डूंगरपुर	23/03/1959	31/03/2019

नोट :- उक्त कार्मिक के विरुद्ध वर्तमान में :-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण नियन्त्रण एवं अपील) नियम-1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण नियन्त्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

आहरण एवं वितरण अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि सिविल रिट 8734/2016 डॉ. प्रभात कांवरिया बनाम राज्य सरकार व अन्य के सम्बन्ध में दिनांक 05.12.2016 को मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में लिये गये निर्णयानुसार माननीय सर्वोच्च न्यायालय/उच्च न्यायालय की मशा के अनुरूप राजकीय आवास में अधिवासित अधिकारियों/कर्मचारियों के मामलों में आवंटी की सेवानिवृत्ति से दो माह के भीतर ही राजकीय आवास को रिक्त कराने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।

उक्त अराजपत्रित कार्मिकों के अतिरिक्त दिनांक 31.12.2019 तक सेवा निवृत्त होने वाले कार्मिकों का नाम सूची में सम्मिलित होने से रह गया हो अथवा किसी का नाम, जन्म दिनांक गलत अंकन होने की स्थिति में अविलम्ब सूचित करें। आप द्वारा प्रेषित सेवानिवृत्ति सूचना का पुनः अवलोकन कर लेवे किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिये अथवा किसी कर्मचारी का नाम रह जाने पर आपका उत्तरदायित्व माना जावेगा।



(स्नेहलता पवार)

निदेशक

दिनांक 18-9-18

कमांकप.1/प्रति7/अधि.से.नि-19/18/ 14947

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, उदयपुर।
2. अति. निदेशक, आयुर्वेद विभाग, उदयपुर।
3. उप निदेशक आयुर्वेद विभाग जिला डूंगरपुर।
4. प्रोग्रामर आयुर्वेद निदेशालय, अजमेर को दी जाकर लेख है कि उक्त को विभागीय बैवसाइट पर अपलोड एवं संबंधित कार्यालय को जरिये ई-मेल करे।
5. शाखा प्रभारी जॉच/गोपनीय/प्रति.3/प्रति.6 आयुर्वेद निदेशालय अजमेर।
6. सम्ब. कर्म. श्री रूपेन्द्र डामोर, कम्पा. राज0 आयु0 औष0 चाडोली- डूंगरपुर।
7. सामान्य-पत्रावली।


निदेशक (आयुर्वेद विभाग)
अजमेर